



Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP86416956726781V
 Certificate Issued Date : 12-Aug-2023 02:34 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14491704/ ORAI SADAR/ UP-JLN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1449170468326245995954V
 Purchased by : MAHENDRA PRATAP URF MAHENDRA KUMAR SO JAGAT SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MAHENDRA PRATAP URF MAHENDRA KUMAR SO JAGAT SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : MAHENDRA PRATAP URF MAHENDRA KUMAR SO JAGAT SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



Please write or type below this line
शपथ पत्र / सहमत पत्र

समक्ष:- श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम उरई।

महेन्द्र प्रताप उर्फ महेन्द्र कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन शपथकर्ता सशपथ निम्नांकित कथन करता है कि-

1. यह कि मेरा नाम व पता जैसा कि ऊपर टाइप किया गया है सच व सही है और मैं शपथकर्ता तथा मेरा भाई हरीओम पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन खाता खतौनी सं० 00585 खसरा संख्या 659 मौजा डकोर तहसील उरई जिला जालौन में सहखातेदार हूँ।

यह कि उक्त खाता के रकवा में नलकूप की वोरिंग है जिसको संचालन हेतु मेरे भाई हरीओम पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन के नाम से विद्युत संयोजन लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं अपनी पूर्ण सहमति दे रहा हूँ हरीओम को वोरिंग हेतु विद्युत संयोजन दे दिया जाये।

यह कि मैं, उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ घोषणा करता हूँ कि मेरे इस शपथ पत्र के प्रेषण के बाद, मेरी ओर से कोई भी शपथपत्र 02 में किया गया सम्पूर्ण कथन सच व सही है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

दिनांक:- 12.08.2023

Execute in presence of me by
 श्रीमन्महाशय श्रीमन्महाशय of
 Document signed by
 to the Competent Authority

हो शपथकर्ता



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate is guaranteed by the Government of India. Any discrepancy in the details of the Certificate and as available on the website of the Ministry of Revenue, Government of India, renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP86418016364908V
 Certificate Issued Date : 12-Aug-2023 02:36 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14491704/ ORAI SADAR/ UP-JLN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1449170468328309222191V
 Purchased by : INDRAJEET SINGH SO JAGAT SINGH
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : Not Applicable
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : INDRAJEET SINGH SO JAGAT SINGH
 Second Party : Not Applicable
 Stamp Duty Paid By : INDRAJEET SINGH SO JAGAT SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



Please write or type below this line

शपथ पत्र / सहमत पत्र

समक्ष:- श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम उरई।

इन्द्रजीत सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन शपथकर्ता सशपथ निम्नांकित कथन करता है कि-

1. यह कि मेरा नाम व पता जैसा कि ऊपर टाइप किया गया है सच व सही है और मैं शपथकर्ता तथा मेरा भाई हरीओम पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन खाता खतौनी सं० 00585 खसरा संख्या 659 मौजा डकोर तहसील उरई जिला जालौन में सहखातेदार हूँ।
2. यह कि उक्त खाता के रकवा में नलकूप की बोरिंग है जिसको संचालन हेतु मेरे भाई हरीओम पुत्र जगत सिंह निवासी डकोर तहसील उरई जिला जालौन के नाम से विद्युत संयोजन लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं अपनी पूर्ण सहमति दे रहा हूँ हरीओम को बोरिंग हेतु विद्युत संयोजन दे दिया जाये।
3. यह कि मैं, उपरोक्त शपथकर्ता सशपथ घोषणा करता हूँ कि मेरे इस शपथ पत्र के पेरु 01 लगायत 02 में किया गया सम्पूर्ण कथन सच व सही है, ईश्वर मेरी सहायता करें।

दिनांक: 12-08-2023

Executed before me by

 Document obtained
 to the respondent
 Who attested the document

हो शपथकर्ता

Indrajeet



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate can be verified at www.singlewindow.gov.in or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website or Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.